न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० ०७-०८ - निगरानी

R 3-II/08

१- बेनी माधव सिंह कुशवाह
पुत्र स्व०श्री रघुवरसिंह

२- जगन्नाथसिंह पुत्र श्री दर्शनसिंह

३- द्वारिकासिंह पुत्र स्व०श्री रघुवरसिंह फौत
वारिस - उदयवीरसिंह पुत्र श्री द्वारिका
सिंह व रमेश सिंह व मुनेशसिंह पुत्रगण
स्व०श्री द्वारिकासिंह व श्रीमती शिवकुमारी
पत्नी स्व०श्री द्वारिकासिंह
समस्त निवासीगण नदना तहसील रौन
जिला भिण्ड (म०प्र०)

---- प्राथीगण

विरुद्ध

१- विश्वनाथसिंह पुत्र श्री देवीसिंह फौत
वारिस -(१) राजेन्द्रसिंह (२) सुरेशसिंह
(३) योगेन्द्रसिंह उर्फ छटंकी (४) बृजेशसिंह
पुत्रगण श्री विश्वनाथसिंह समस्त निवासी-
ग्राम - नदना तहसील रौन जिला भिण्ड

५- कुंवरसिंह } पुत्रगण श्री देवीसिंह
६- पुत्तूसिंह } निवासी- ग्राम नदना
तहसील - रौन जिला भिण्ड (म०प्र०)

----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा ५० म०राजस्व संहिता के तहत

महोदय,

निवेदन है कि हम प्राथीगणों की ओर से निगरानी आवेदन विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर आयुक्त चम्बल सम्भाग द्वारा प्रकरण क्रमांक ६४/०५-०६ अपील में पारित आदेश दिनांक ३० नवम्बर २००७ निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यह कि, आदेश अपर आयुक्त विधि विधान, व नियमावली

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 03-दो/08 जिला - भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 64/2005-06/अपील में पारित आदेश दिनांक 30-11-07 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम शाहपुरा, नदना एवं ग्राम पचोखरा स्थित संयुक्त खाते की भूमि का बटवारा आवेदन उभयपक्षों द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत विचारण न्यायालय में पेश किया गया जिस पर कार्यवाही कर विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 30-4-04 द्वारा विवादित भूमि का बटवारा उभयपक्ष के मध्य स्वीकार किया इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक विश्वनाथ (मृतक) द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहां पेश की गई जो उन्होंने आदेश दिनांक 17-10-05 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध विश्वनाथ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील की गई जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि यह प्रकरण बटवारे का है उभयपक्ष के स्वामित्व की भूमि तीन ग्रामों में थी तीनों ग्रामों की भूमि शामिल शरीक थी जिसके बटवारे का प्रकरण तहसील रौन में प्रचलित हुआ उक्त प्रकरण में सभी सहखातेदारों द्वारा सहमति प्रस्तुत करते हुए स्वेच्छा व राजीनामे के आधार पर बटवारा स्वीकार किया गया था जिसके विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं थी इस कारण अनुविभागीय अधिकारी ने	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक - निगरानी 03-दो/08 जिला - भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

किया जा चुका था और उसी के तहत हम पक्षकार अपने-अपने भाग पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उसी बटवारे को आधार मानकर सहमति से कानूनी प्रकिया के तहत बटवारा किया था जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है । उक्त तर्को के आधार पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालयों के आदेश संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । यह तर्क दिया गया कि सर्वे नंबर 175 रकबा 0.59 स्थित ग्राम नदना के भूमिस्वामी विश्वनाथ, कुंवरसिंह एवं पुत्तूसिंह थे विचारण न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का भी बटवारा किया गया है जो अवैधानिक है । अंत में कहा गया कि अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसे स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया । यह प्रकरण बटवारे का है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराया गया है तथा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की गई है । प्रकरण में जो फर्द बटवारा प्रस्तुत हुआ है उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं । विचारण न्यायालय द्वारा जो बटवारा आदेश पारित किया गया है वह सहमति के आधार पर पारित किया गया है । विचारण न्यायालय के अभिलेख के पृष्ठ 72 पर मौजा नंदना के सर्वे नंबर 175 रकबा 0.59

R-03-II/08

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

के संबंध में सहमति पत्र संलग्न है, इससे स्पष्ट है कि उक्त सर्वे नंबर को सहमति के आधार पर जुड़वाया गया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो बटवारा आदेश पारित किया गया है विधिवत कार्यवाही करते हुए तथा उभयपक्षों की सहमति के आधार पर पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए तथा इस बिंदु को, कि सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है, अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए प्रकरण में ऐसा कोई आधार प्रतीत नहीं होता है जिस कारण प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया जाये । अतः इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती आदेशों को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में न्यायिक त्रुटि की गई है इस कारण उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-07 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-10-05 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर